एस.ए.आर. अपील 44आर–15/08–09

28-06-2008 सुभाष सिंह की ओर से इनके विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि वर्त्तमान न्यायालय द्वारा रिमाण्ड करने के पश्चात एस0ए0आर0 कोर्ट द्वारा वाद सं0–472/2001–02 में 70,000/–सत्तर हजार रूपये प्रति कट्ठा की दर से क्षतिपूर्त्ति भुगतान करने का आदेश दिया गया है।

सुभाष सिंह के विद्वान अधिवक्ता ने एक एस0 ए0 आर0 वाद सं0–160/02 में दिनांक–16.02.2002 को पारित आदेश की प्रति उपलब्ध करायी है जिसमें उसी मौजा में 10,000/–दस हजार रूपये प्रति कट्ठा क्षतिपूर्त्ति निर्धारण किया गया है। इस दृष्टिकोण से निम्न न्यायालय द्वारा वर्त्तमान मूल्य निर्धारण में पुनर्विचार की आवश्यकता है।

अतः पूर्व में निर्धारित दर के अनुसार वर्त्तमान दर को पुनर्विचारित करने के लिए यह वाद पुनः निम्न न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जाता है।

ह0/–

अपर समाहर्त्ता,
राँची।